कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद, (म.प्र.)

आदेश

क्रमांक 480 / दो–11–2 / 96 होशंगाबाद, दिनांक 23.11.19

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन कमांक बी / 5592 / चार –3–01 / 65 (एकजाई विज्ञापन) जबलपुर दिनांक 11.11.2019 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की रिट पिटीशन कमांक 8343 / 2019 आदेश दिनांक 29.08.2019 के पालन में **कुमारी पायल पिता पुत्री श्री विजय** वर्तमान सहायक ग्रेड–तीन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर की इस स्थापना पर शीघ्रलेखक ग्रेड–दो के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिये अनुमोदन किये जाने के फलस्वरूप दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत वेतनमान 25300–80500 / – मे न्यूनतम मूल वेतन पर पूर्णतः अस्थायी एवं दो वर्ष की परिवीक्षा पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित सेवा की सामान्य शर्तो के अधीन, आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाता है:–

/ / सेवा की सामान्य शर्ते / /

1. नियुक्ति पर जिला चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक आरोग्यता प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय लेकर उपस्थित होना होगा।
2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 (6) अनुसार यह शपथ पत्र पेश करना होगा की उनके दिनांक 01 जनवरी 2001 के पश्चात दो से अधिक जीवित संतानें नही है और न ही सेवारत रहते उक्त सेवाशर्त का उल्लंघन करेंगे।
3. यह घोषणा पत्र कि उन्हे किसी भी दंड न्यायालय से दोषसिद्ध कर दंडित नही किया गया है अथवा किसी न्यायालय में उनके विरूद्ध आपराधिक मामला लंबित नही है अथवा किसी भी आरक्षी केन्द्र में कोई भी अपराध अनुसंधान मे नही है।
4. चरित्र सत्यापन कराये जाने पर शासकीय सेवा योग्य न पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तत्काल सेवाए समाप्त की जावेंगी।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अर्हकारी प्रमाण पत्रों की संबंधित संस्था से जांच कराये जाने पर कोई भी दस्तावेज अथवा घोषणा असत्य पाये जाने पर अनुशासनिक एवं अभियोजन की कार्यवाही कर सेवाए तत्काल समाप्त की जावेगी।
6. शैक्षणिक योग्यता वृद्धि की परीक्षा अथवा अन्य नियोजन में नियुक्ति पूर्व परीक्षा का आवेदन बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेंगें।
7. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थाई एवं अर्द्धस्थाई) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार अभ्यार्थी की सेवाये किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है।
8. आपकी सेवाए सदैव शासनाधीन है, किसी भी समय व किसी भी रूप में बिना किसी अतिरिक्त मानदेय के सेवाऐं ली जा सकती है।
9. तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पूर्व अंतर जिला स्थानांतर का आवेदन सहमति अग्रेषित नहीं किया जावेगा।
10. दिनांक 01.01.2005 के पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों को पेंशन नियम 1976 तथा सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 लागू न होने से पूर्व की सेवाए जोडे जाने का नियम लागू नहीं होगा।
11. आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2016 एवं नियम 2019 तथा मध्यप्रदेश राज्य के शासनादेश लागू होंगे।

Sd/-

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म0प्र0)

पृ.क. 1569/दो–11–2/96 होशंगाबाद दिनांक 23.11.19

आदेशानुसार प्रतिलिपिः–

01– जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02– कु. पायल पुत्री विजय, वर्तमान सहायक ग्रेड–तीन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

03– सिस्टम आफिसर, होशंगाबाद की ओर उक्त आदेश बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04– लेखापाल/देयक लिपिक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/11/19

वास्ते– जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
होशंगाबाद(म.प्र.)